झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1172 वर्ष 2017

बृज बिहारी सिंह, पे0 स्वर्गीय राम दयाल सिंह, निवासी–माडा कॉलोनी, लुबी सर्कुलर रोड, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने प्रबंध निदेशक जिसका कार्यालय झामाडा भवन, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद है, के माध्यम से

2. लेखा पदाधिकारी, झामाडा, झामाडा भवन, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री भवेश कुमार, अधिवक्ता

02 / 06.03.2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता, जो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, आब्जर्वेशन होम, बरमसिया, धनबाद के पद पर काम कर रहा था और 30.04.2016 को उत्तरदाता–खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकारण, धनबाद (संक्षेप में ''एम0ए0डी0ए0'') की सेवा से मुक्त हुए। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा, अंतरिम सहायता, चिकित्सा भत्ता, क्षेत्रीय भत्ता, महंगाई भत्ता, डी0ए0 का 50 प्रतिशत का बकाया, क्षेत्रीय भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, 6ठे वेतन पुनरीक्षण का एरियर और ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 के लाभ आदि का भुगतान

अभी तक उसे नहीं किया गया है, हालांकि उसने एम0ए0डी0ए0 के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुलग्नक–2 दिनांक 13.06.2016 के द्वारा अभ्यावेदन दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याची के अभ्यावेदन के जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याची ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ता के कुछ सेवानिवृत्ति के बाद के बकायों और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए अभ्यावेदन पेश करने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा और अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके बाद 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वे सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया राशि और अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया राशि पाने का हकदार

है, तो प्रतिवादी–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ ही इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)